

पत्रांक—BMSIC/80105/20-2021/

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

बी.एम.एस.आई.सी.एल.,

पटना 0।

सेवा में,

Rajendra Prasad Poddar,

Mangal Market, Katihar

दिनांक—

विषय— मुजफ्फरपुर विधान सभा क्षेत्र 88, 89, 90, 91 एवं 92 (i) गायघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iv) बोचहाँ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (v) सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण का भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:— कार्यादेश संख्या:—8201, दिनांक:—28.01.2022, निगम का पत्रांक:—8904, दिनांक:—24.01.2024, उप महाप्रबन्धक (परि०), मुजफ्फरपुर का पत्रांक:—141 दिनांक:—04.04.2025, निगम का पत्रांक:—324, दिनांक:—08.04.2025 एवं आपका पत्रांक RPP/2025/014 दिनांक:—15.04.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:—28.01.2022 को निर्गत किया गया है। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.04.2023 निर्धारित था परन्तु लगभग 38 माह समाप्त हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

उक्त संबंध में संबंधित क्षेत्रीय उप महाप्रबन्धक (परि०), मुजफ्फरपुर के पत्रांक:—141, दिनांक:—04.04.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि 38 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है तथा कालीकृत करने की अनुशंसा किया गया। तदोपरांत निगम मुख्यालय के पत्रांक:— 324 दिनांक:—08.04.2025 के द्वारा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कालीकृत करने पूर्व स्पष्टीकरण पूछा गया। पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब आपके पत्रांक RPP/2025/014 दिनांक:—15.04.2025 द्वारा समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं है एवं तथ्यों से परे है।

विदित है कि निगम के द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप पत्रांक:—5674, दिनांक:—27.09.2024 के माध्यम से कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से पूर्व में वंचित (Debar) किया जा चुका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य में जान-बुझकर लापरवाही बरती जा रही है एवं सरकारी परियोजना के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है।

आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।



कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), सारण के पत्रांक:-948, दिनांक:-20.03.2025 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करने के साथ-साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के Risk & Cost पर पुननिर्विदा करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०) सारण से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14(iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (Rajendra Prasad Poddar, Mangal Market, Katihar) के Agreement संख्या:-HWC.APHC.CHC/SBD/78/ 2021-2022 दिनांक:-04.01.2022 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 एवं 14 के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को जब्त (Forfeit) करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के कंडिका-11(क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80105/20-2021/

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परियोजना), उत्तर, दक्षिण/महाप्रबंधक (वित्त)/ उप महाप्रबंधक (मु०), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप महाप्रबंधक(परि०), BMSICL, सारण को निदेशित करना है, कि एक सप्ताह के अन्दर इस परियोजना की अंतिम मापी संवेदक की उपस्थिति में कराकर अवशेष कार्य एवं कराये गये कार्य का समेकित प्राक्कलन मुख्यालय को समर्पित करें, ताकि निविदा की प्रक्रिया कर शेष कार्य कराया जा सके।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80105/20-2021/

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

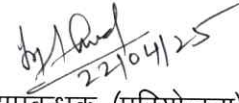


ज्ञापांक:- BMSIC/80105/20-2021/ 785

दिनांक:- 25/04/2025

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के बेवसाइट पर संवेदक के कालीकृत सूची में प्रकाशित किया जाए।


22/04/25
मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

A

